# HAMIRPUR POLICE

थाना सिसोलर | दिनांक-19.09.2021

## 700 लीटर अवैध ज्वलनशील पदार्थ/डीजल के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

थाना सिसोलर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान सुरेश कुमार पुत्र राम दास निवासी टोलामाफ, थाना सिसोलर, जनपद हमीरपुर को अवैध रूप से ज्वलनशील पदार्थ/डीजल भंण्डारण करके बेचते हुए पाया गया, जिसकी रिपोर्ट जिला पूर्ति अधिकारी जनपद हमीरपुर को दी गयी। इसी क्रम मे पूर्ति निरीक्षक तहसील मौदहा द्वारा मौके पर पहुँच कर ज्वलनशील पदार्थ भंण्डारण के सम्बन्ध मे जाँच की गयी। जाँच से ज्वलनशील पदार्थ (द्रव) बिना वैध प्रपत्र के भंण्डारण करके बेचा जाना पाया गया। पूर्ति निरीक्षक तहसील मौदहा की रिपोर्ट व मौजूदगी में सुरेश कुमार पुत्र राम दास उपरोक्त के कब्जे से 700 लीटर ज्वलनशील पदार्थ, जिसमें से 200 लीटर लगभग के 03 ड्रम भरे हुए व एक ड्रम आधा भरा हुआ ज्वलनशील पदार्थ(द्रव) व 02 ड्रम खाली लोहे के, 02 प्लास्टिक की कुप्पी, एक मीजर 05 लीटर क्षमता का, एक मीजर एक लीटर क्षमता का व एक ड्रम आधा कटा हुआ लोहे का बरामद हुआ बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 173/21 धारा 419/420/467/468/474 आईपीसी पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की गई, गिरफ्तार अभियुक्त सुरेश कुमार उपरोक्त ने बताया कि फर्जी लाइसेन्स बनाने व ज्वलनशील पदार्थ(द्रव) उपलब्ध कराने का कार्य बलबीर पुत्र अज्ञात पता अज्ञात करता है जिसकी गिरफ्तारी हेतु तलाश की जा रही है।

**बरामदगी-**

200 लीटर लगभग के 03 ड्रम भरे हुए ,
एक ड्रम आधा भरा हुआ ज्वलनशील पदार्थ(द्रव),
02 ड्रम खाली लोहे के,
02 प्लास्टिक की कुप्पी,
एक मीजर 05 लीटर क्षमता का,
एक लीटर मीजर क्षमता का,
एक ड्रम आधा कटा हुआ लोहे का,
(कुल 700 लीटर ज्वलनशील पदार्थ)

**गिरफ्तारी करने वाली टीम-**

1.थानाध्यक्ष सिसोलर हेमन्त कुमार मिश्रा
2. पूर्ति निरीक्षक रविन्द्र कुमार अहिरवार मौदहा,
3. का0 दिलीप कुमार
4. रि0का0 कुलदीप मिश्रा
5. का0 चालक विनोद कुमार मिश्रा